

“लोक अदालत : निःशुल्क निर्णयों की प्रासंगिकता”

डॉ. सविता मिश्रा

एम.आई.जी. डी.-22, शान्ती बिहार कालोनी, पड़रा, सीवा (म.प्र.)

शोध सारांश :-प्रस्तुत शोध पत्र में संपत्ति अधिग्रहण, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों का लोक अदालतों द्वारा व्यापक और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाता है। लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय के बाहर विवादों का सुलह-समझौते से निपटारा करना है। इसे जन अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करती है। इन्हीं बिन्दुओं को विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास है।

मुख्य शब्द :- लोक अदालत, शीघ्रतापूर्वक, निःशुल्क, सौहार्दपूर्ण, ढंग, निर्णय न्यायालय, सुलह, समझौते, निपटारा आदि।